

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

अपील संख्या 11/2022

1. श्रीमती सुण्डी देवी पत्नि केशाराम जाति गुर्जर निवासी चारण का बास तहसील व जिला सीकर

—अपीलाण्ट—

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र झूंथाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम चारण का बास तहसील व जिला सीकर
2. गणपती पुत्री केशाराम जाति गुर्जर निवासी चारण का बास तहसील व जिला सीकर हाल निवासी ग्राम झाझड, तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
3. तहसीलदार सीकर
4. ग्राम पंचायत चैनपुरा, तहसील व जिला सीकर

— रेस्पोंडेण्टस —


अपील अंतर्गत धारा 75 एलआर एक्ट 1956 विरुद्ध नामा० संख्या 57 दिनांक 24.8.1990 ग्राम पंचायत चैनपुरा तहसील व जिला सीकर

उपस्थित – वकील अपीलाण्ट— श्री जवाहरलाल जांगिड़
वकील रेस्पोंडेण्टस – श्री अजीत सिंह

निर्णय

दिनांक : 15.11.22

वकील अपीलाण्टस ने एक अपील विरुद्ध नामा० संख्या 57 दिनांक 24.8.1990 ग्राम पंचायत चैनपुरा के पेश की। जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम चैनपुरा तहसील व जिला सीकर की कृषि भूमि खसरा नम्बर पुराना 199, 200 व 203/2 जिसके नये खसरा नम्बर 714, 715 व 712 है जो अपीलाण्ट के पति स्व० केशाराम के कब्जे काश्त की व खातेदारी की भूमि रही है जो वर्तमान में ग्राम चारण का बास में अवस्थित है। अपीलाण्ट के पति स्व० केशाराम की मृत्यु के बाद अधिनिस्थ





न्यायालय ग्राम पंचायत चैनपुरा ने विरासत का नामा० संख्या 57 दिनांक 24.8.1990 विधि विरुद्ध स्वीकार कर दिया। अपीलाण्ट व उसकी जायंदा पुत्री गणपती देवी ही स्व० केशाराम की विधिक वारिसान हैं। रेस्पो० सं० 1 ने विधि विरुद्ध फर्जी व कुटरचित दस्तावेज गोदनामा तैयार करवा लिया एवं उक्त फर्जी दस्तावेजात के आधार पर ग्राम पंचायत से सांठ गांठ कर विधि विरुद्ध नामा० अपने नाम स्वीकार कर दिया। जो ककि निरस्त होने योग्य है। उक्त गोदनामा पर ना तो सुण्डी देवी के हस्ताक्षर है ना ही स्व० केशाराम ने कहा है कि उसने रेस्पो० सं. 1 को गोद लिया है ना ही सोहनलाल की जायंदा माता के हस्ताक्षर व सहमति है ऐसी परिस्थितियों में यह प्रमाणित है कि उक्त गोदनामा महज अपीलाण्ट के पति की संपदा हड़पने के लिये फर्जी तैयार करवा कर नामा० स्वीकृत करवाया गया है। स्व० केशाराम की रेस्पो० सं० 2 जायन्दा पुत्री है जो उसकी संपत्ति की विधिक वारिसान है। अपीलाण्ट एक वृद्ध महिला है जो अनपढ है जिसने कभी रेस्पो० सं० 1 को गोद नहीं लिया है। गोदनामा की कार्यवाही निरस्त करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुऐ अपील प्रस्तुत की जा रही है। उक्त कुटरचित आदेश की जानकारी होने पर नामा० निरस्त करने का निवेदन किया जो रेस्पो० संख्या 3 ने मना कर दिया। अतः उक्त नामा० विधि विरुद्ध एवं फर्जी दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार होने के कारण निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।


अपील प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेण्टस को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। जिस पर रेस्पोडेण्टस संख्या 2 की ओर से एड. अजीत सिंह ने वकालतनामा पेश किया। इनके द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। शेष रेस्पो० बावजूद रजिस्टर्ड तामिल के उपस्थित नहीं रहे।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार यह प्रमाणित है कि स्व० केशाराम की मृत्यु के पश्चात उसकी कृषि भूमियों का विरासत का नामा० उसके गोद के पुत्र सोहनलाल के नाम से स्वीकृत किया गया है जबकि अपीलाण्ट स्व० केशाराम की पत्नि है एवं रेस्पो० संख्या 2 उसकी जायंदा पुत्री है। ग्राम पंचायत का नामा० केवल मात्र उसके गोद के पुत्र रेस्पो. संख्या 1 के नाम स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा नाम बिना विरासत की जांच किये व नियमानुसार सुनवाई का अवसर दिये स्वीकृत किया गया है। जो कि विधि विरुद्ध है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्टस प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर स्वीकार की जाकर नामा० संख्या 57 दिनांक 24.8.1990 ग्राम पंचायत चैनपुरा तहसील व जिला सीकर को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता

है कि वह नियमानुसार विरासत की जांच कर दोनों पक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर नामा० की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 15.11.22 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।


(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर